

आदेश

(अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

कोतवाली बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा दिनांक 24.09.2028 को नामांकन एवं दिनांक 29.09.2028 को मतदान होना है, नामांकन/मतदान के दौरान विश्वस्त स्त्रोतो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि आसामजिक एवं अवांछनीय तत्व छात्र संघ चुनाव के दौरान साम्प्रदायिकता, जातीयता, राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता तथा धार्मिक एवं भाषीय आधार पर समुदाय के बीच वैमनश्य बढ़ाने/फैलाने का प्रयास कर दे अथवा अन्य समाज विरोधी एवं अवांछनीय कार्य कर दे जिससे गम्भीर शान्ति भंग तथा विधि एवं व्यवस्था भंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त स्थितियों एवं सूचनाओं पर परीक्षणोपरान्त तथा सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि विधि एवं व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव मैं ऋचा सिंह उप जिला मजिस्ट्रेट, बाजपुर धारा-163(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्राविधानों के तहत निम्नांकित निषेधाज्ञायें जारी करती हूँ:-

- 1- थाना बाजपुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर के 100 मीटर की सीमान्तर्गत पॉच या उससे अधिक व्यक्ति शान्ति भंग करने के उद्देश्य से एक नहीं होंगे और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा अथवा करायेगा। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- 02- उक्त थाना बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र लाठी, डन्डा, तलबार या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। किन्तु यह प्रतिबन्ध सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा जो अपना प्रतिनिधित्व कर्तव्य के लिये उक्त हथियार अपने पास रखते हो तथा उसको रखने के लिये प्राधिकृत है। यह प्रतिबन्ध सिक्ख धर्म के अनुयायी उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो धार्मिक आधार पर कृपाण धारण करते हो।
- 03- उक्त थाना बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बैठक या ध्वनिविस्तारण यन्त्र/उपकरणों का प्रयोग ना तो करेगा और ना ही करवायेगा और ना ही ऐसा कृत्य करेगा।
- 04- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
- 05- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर द्वारा तैयार की गयी मतदाता सूची के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं करेगा।
- 06- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कोई भी अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति धर्म, जाति व सम्प्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगेगा।
- 07- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत देने, अभिन्नस्त करने, मतदाताओं का प्रतिरूपण करने मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करने, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली अवधि में सार्वजनिक सभायें करने और मतदाताओं को सवारी से मतदान स्थल तक लाने व वापस ले जाने का कार्य नहीं करेगा।
- 08- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कोई भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी के निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा।
- 09- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कोई भी अभ्यर्थी एवं उसके समर्थक महाविद्यालय परिसर की सम्पत्ति एवं अन्य लोक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा तथा उसका विरूपण नहीं करेगा।
- 10- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रशासन बाजपुर की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार की मीटिंग सभा या रैली का आयोजन महाविद्यालय परिसर में नहीं किया जायेगा।
- 11- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर के चुनाव प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों तथा जानवरों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- 12- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में मतदान के दिन प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की खाद्य सामग्री तथा पेय पदार्थ का वितरण वर्जित होगा।
- 13- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में मतदान केन्द्रों के अन्दर बिना बैध अनुमति के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।

2/

- 14- यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 23.11.2026 से 29.09.2026 छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा यदि इससे पूर्व वापस न लिया जावें।
- 15- इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होंगे।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

दिनांक:- 23.09.2026


(अरुण सिंह)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
बाजपुर।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, बाजपुर जिला उधमसिंहनगर।

पत्र संख्या-3388/एस0टी0/2026

दिनांक 23 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महोदय उधमसिंहनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधमसिंहनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस क्षेत्राधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- तहसीलदार बाजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बाजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा इस आदेश का व्यापक प्रचार लाउडस्पीकर/समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें, उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए विधिक कार्यवाही करें।
- 6- प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड व महाविद्यालय के मुख्य गेट पर आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ चस्पा कराये।
- 7- कार्यालय प्रति।


उप जिला मजिस्ट्रेट,
बाजपुर।